

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 28.05.2024

मू.वि.या. (वाणि.) 136/2024

ऑरम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

एचटी मीडिया लिमिटेड और अन्य

..... प्रत्यर्थी

मू.वि.या. (वाणि.) 137/2024

आई.ओ.एल. टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

एच.टी. मीडिया लिमिटेड और अन्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित:

मू.वि.या. (वाणि.) 136/2024 में याचिकाकर्ता के लिए श्री संदीप सेठी और श्री प्रतीक सेकसरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री नियति कोहली, श्री प्रथम वीर अग्रवाल सह सुश्री मानवी अग्रवाल।

मू.वि.या.(वाणि.) 137/2024 में याचिकाकर्ता के लिए श्री जयदीप गुप्ता और श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री नियति कोहली, श्री प्रताप वीर अग्रवाल, सुश्री मानवी अग्रवाल सह श्री श्रुधर के।

प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए श्री संजीव बहल, श्री मधुर ढींगरा, सुश्री हरलीन कौर और सुश्री अपूर्व बहल

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रतीक जलान

निर्णय

मू.वि.या. (वाणि.) 136/2024 में अं.आ. 6812/2024 (रोक)

मू.वि.या. (वाणि.) 137/2024 में अं.आ. 6814/2024 (रोक)

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["अधिनियम"] के खंड 34 के अधीन दायर मू.वि.या.(वाणि.) 136/2024 और मू.वि.या.(वाणि.) 137/2024 में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 18.12.2023 के मध्यस्थता पंचाट, जिसके द्वारा पक्षों के बीच विवाद में दिनांक 30.12.2008 पर "डिबेंचर सब्सक्रिप्शन समझौते" ["डी.एस.ए."] के अधीन निर्णय लिया गया है, को चुनौती दी है। विद्वान मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी संख्या 1, एच.टी. मीडिया लिमिटेड ["एच.टी.एम."] के पक्ष में और याचिकाकर्ताओं सहित छह संस्थाओं के विरुद्ध निर्णय दिया है। पंचाट 7.5 करोड़ रुपये की राशि के साथ-साथ 6 प्रतिशत वार्षिक दर से पंचाटपूर्व ब्याज, 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज और 20 लाख रुपये के लिए है। याचिकाकर्ता अं.आ. 6812/2024 और अं.आ. 6814/2024 के माध्यम से, विवादित पंचाट पर अंतरिम रोक की मांग करते हैं।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस प्रमुख आधार पर निर्णय का विरोध किया गया है, वह यह है कि उन्हें गलती से डी.एस.ए. द्वारा बाध्य माना गया है। उनका निवेदन यह है कि डी.एस.ए. पर कथित तौर पर उनकी ओर से श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव ["एस.एस."] द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो याचिकाकर्ता-कंपनियों के न तो अधिकारी थे और न ही कर्मचारी थे, और याचिकाकर्ता-कंपनियों के पास उनकी ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका तर्क है कि विद्वान मध्यस्थ ने याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने के एस.एस. के कथित दृश्यमान अधिकार के बारे में पता लगने पर डी.एस.ए. द्वारा गलत रूप से बाध्य माना है।

3. डी.एस.ए. में पक्षों के विवरण में तीन भाग हैं: (क) आई.ओ.एल. नेटवर्क लिमिटेड ["आई.ओ.एल.एन."] नाम की कंपनी; (ख) एच.टी.एम.; और (ग) डी.एस.ए. के "प्रदर्श 1" में सूचीबद्ध आई.ओ.एल.एन. के "संप्रवर्तक"। याचिकाकर्ता उन संस्थाओं में से चार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें इसके बाद "संप्रवर्तक" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

4. डी.एस.ए. ने एच.टी.एम. को आई.ओ.एल.एन. द्वारा जारी किए जाने वाले पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता लेने के लिए उसमें दिए गए नियमों और शर्तों पर 7.5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। अनुच्छेद 8 में आई.ओ.एल.एन. द्वारा डी.एस.ए. के भंग होने पर एच.टी.एम. द्वारा किए गए किसी भी हानि, देनदारियों, दावों और नुकसान के विरुद्ध संप्रवर्तकों द्वारा

क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें एक मध्यस्थता खंड [खंड 11.13] और एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड [खंड 11.14] भी शामिल था जो दिल्ली के न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र निहित करता था।

5. डी.एस.ए. पर एस.एस. द्वारा "अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आई.ओ.एल.एन." के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में उनके पदनाम का उल्लेख "अध्यक्ष/सीईओ" के रूप में किया गया है। एच.टी.एम. की ओर से विधि, कर और कंपनी सचिव के उपाध्यक्ष दिनेश मित्तल ने इस पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान याचिकाओं में आई.ओ.एल.एन. और एच.टी.एम. की ओर से हस्ताक्षरकर्ताओं का अधिकार विवादित नहीं है। कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि एसएस ने भी डी.एस.ए. "समप्रवर्तकों" के कथित "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में हस्ताक्षर किए हैं ।

6. एच.टी.एम. के अनुसार, आई.ओ.एल.एन. ने डी.एस.ए. के अधीन अपने दायित्वों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने आई.ओ.एल.एन. को संबोधित दिनांक 25.11.2011 के नोटिस द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया। कहा जाता है कि कंपनी याचिका 439/2010 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 03.05.2012 के एक आदेश के अनुसार आई.ओ.एल.एन. को समाप्त कर दिया गया है।

7. इसके बाद एच.टी.एम. ने डी.एस.ए. के अधीन विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की खंड 11 के

अधीन इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता खंड 11 याचिका के पक्षकार थे, जिसे विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति करते हुए 07.01.2019 को निपटाया गया था। कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय ने एस.एस. का बयान दर्ज करने के बाद दिनांक 18.12.2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बोर्ड द्वारा समप्रवर्तकों की ओर से भी डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एस.एस. को समप्रवर्तकों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को वि.अ.या. (सि) 3614/2019 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में उठाया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.12.2018 के आदेश द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को विद्वान मध्यस्थ के समक्ष रखरखाव पर बहस करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिसे इस न्यायालय के निर्णय में निहित टिपणी से प्रभावित हुए बिना पहले इस प्रश्न का निर्णय लेना था।

8. अधिनियम के खंड 16 के अधीन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को विद्वान मध्यस्थ के दिनांक 06.02.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान मध्यस्थ ने इसके बाद, विवादित निर्णय में, याचिकाकर्ताओं के रखरखाव के तर्क को खारिज कर दिया था, और कहा था कि वे डी.एस.ए. से बाध्य थे, क्योंकि एस.एस. को उनका प्रतिनिधित्व करने का दृश्यमान अधिकार था।

9. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सेठी और श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि एस.एस. को समप्रवर्तकों की ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान मध्यस्थ ने यह सही पाया है कि न तो समप्रवर्तकों की ओर से एसएस में निहित कोई स्पष्ट प्राधिकरण था, न ही कोई ऐसा विवक्षित प्राधिकार था जिसके आधार पर वह उन्हें बाध्य कर सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान मध्यस्थ ने फिर भी याचिकाकर्ताओं को इस गलत निष्कर्ष पर उत्तरदायी ठहराया है कि एसएस के पास उनकी ओर से कार्य करने का "दृश्यमान अधिकार" था।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि डी.एस.ए. में पक्षों के विवरण में ही विशेष रूप से यह निम्नानुसार प्रदान किया गया था:

“ध्यान दें यदि समप्रवर्तकों में से कोई एक कंपनी है, तो प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाला एक बोर्ड प्रस्ताव आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति है, तो इस समझौते को प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित करने के लिए, हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाली विधिवत रूप से नोटरीकृत मुख्तारनामे की आवश्यकता होगी।”

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कोई भी बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था, और विद्वान मध्यस्थ को उपर्युक्त उद्धृत स्पष्ट प्रावधान के समक्ष संभावित अधिकार के संबंध में जांच में शामिल नहीं होना

चाहिए था। उन्होंने यह इंगित किया कि एचटीएम द्वारा मध्यस्थता शर्त को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लागू भी नहीं किया गया था।

11. इस तर्क के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उन्होंने तर्क दिया कि इस बिंदु पर विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष एचटीएम की किसी भी दलीलों से परे हैं और स्पष्ट रूप से विकृत तथा अस्थिर हैं।

12. इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय को विवादित पंचाट पर बिना शर्त रोक लगा देनी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस तरह का पाठ्यक्रम अधिनियम की खंड 36 के अधीन अनुमेय है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ["सी.पी.सी."] के आदेश 41 नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है। उन्होंने इस तर्क के समर्थन में इकोपैक इंडिया पेपर कप (प्रा.) लिमिटेड बनाम स्फेयर इंटरनेशनल में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ के निर्णय को आधार बनाया।

13. दूसरी ओर, एच.टी.एम. के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव बहल ने तर्क दिया कि विवादित पंचाट धन सम्बन्धी है और न्यायालय को बिना शर्त रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की खंड 36 (3) केवल तभी बिना शर्त रोक लगाने का प्रावधान करती है जब अनुबंध, मध्यस्थता समझौता, या पंचाट देना, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से दूषित हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई याचिका ली या स्थापित

नहीं की गई है। श्री बहल ने कहा कि अन्य सभी मामलों में, न्यायालय धन आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रतिभूति प्रदान करने या जमा करने के लिए बाध्य है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा निष्कर्ष सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 1 और नियम 5 से निकलता है, जिसे न्यायालय को सांविधिक रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है।

14. श्री बहल ने तथ्यों पर तर्क दिया कि आई.ओ.एल.एन. के प्रवर्तक याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती थे, जिन्हें डी.एस.ए. के अधीन डिबेंचर की सदस्यता के लिए एच.टी.एम. से 7.5 करोड़ रुपये मिले थे। आई.ओ.एल.एन. के दायित्वों की गारंटी इसके समप्रवर्तकों द्वारा दी गई थी, जिसको एच.टी.एम. ने अपने दावे का आधार बनाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान मध्यस्थ ने डीएसए की व्याख्या और उनके समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि एसएस को समप्रवर्तकों की ओर से कार्य करने का अधिकार था, और यह निष्कर्ष अधिनियम की धारा 34 के अधीन न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में बाधित नहीं किया जा सकता था। श्री बहल ने *सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन बनाम पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड* में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, *इटालियन थाई डेवलपमेंट बनाम एनटीपीसी लिमिटेड* में इस न्यायालय का निर्णय, और *बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम शिल्पी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड* में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय अपने निवेदन के समर्थन में उद्धृत किया है।

15. अधिनियम का खंड 36 (3) निम्नलिखित प्रावधान करता है:

“36. प्रवर्तन –

XXXX

XXXX

XXXX

(3) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उप-धारा (2) के अधीन आवेदन दायर करने पर, न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पंचाट के संचालन पर रोक लगा सकता है:

बशर्ते कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पंचाट के मामले में स्थगन देने के आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अधीन धन डिक्री पर स्थगन देने के प्रावधानों पर उचित ध्यान देगा।

बशर्ते, जहां न्यायालय संतुष्ट हो कि कोई प्रथमदृष्टया मामला जिसमें -

(क) मध्यस्थता समझौता या अनुबंध जो पंचाट का आधार है; या

(ख) पंचाट का निर्माण,

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था, तो यह पंचाट पर खंड 34 के अधीन चुनौती के निपटारे तक बिना शर्त रोक लगा देगा।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परंतुक मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी न्यायालयी मामलों पर लागू होगा, भले ही मध्यस्थता या न्यायालयी कार्यवाही मध्यस्थता

और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3) के प्रारंभ से पहले या बाद में शुरू की गई थी।”

16. इस प्रावधान के अधीन न्यायालय को धन पंचाट पर रोक लगाने के सवाल पर विचार करते समय सी.पी.सी. में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। सी.पी.सी. में सुसंगत सिद्धांत आदेश 41 में इस प्रकार निहित हैं:

“
आदेश 41
मूल डिक्री से आवेदन

1. अपील का रूप। जापन के साथ क्या होना चाहिए।—

XXXX

XXXX

XXXX

(3) जहां अपील धन के भुगतान की किसी डिक्री के विरुद्ध है, वहां अपीलकर्ता, अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमत समयावधि के भीतर, अपील में विवादित राशि जमा करेगा या उसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जो न्यायालय उचित समझे।

XXXX

XXXX

XXXX

5. अपील न्यायालय द्वारा रोक लगाना— (1) किसी अपील के कारण उस निर्णय या आदेश के तहत कार्यवाही स्थगित नहीं होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सिवाय उस स्थिति में जहाँ अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया जाए। केवल अपील दायर किए जाने के कारण निर्णय का निष्पादन स्थगित नहीं होगा; लेकिन अपीलीय न्यायालय पर्याप्त कारणों से ऐसे निर्णय के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण—निष्पादन स्थगन के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश, ऐसे आदेश के प्रथम न्यायालय को सूचित

किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हो, जिसमें यह कहा गया हो कि निष्पादन स्थगन का आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो प्रथम न्यायालय, अपीलीय न्यायालय से निष्पादन स्थगन के आदेश या इसके विपरीत किसी आदेश की प्राप्ति लंबित रहने तक, ऐसे शपथपत्र के आधार पर कार्य करेगा।

XXXX

XXXX

XXXX

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन निष्पादन पर रोक लगाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसे देने वाला न्यायालय संतुष्ट नहीं हो जाता है कि -

(क) कि यदि आदेश नहीं दिया गया, तो निष्पादन स्थगन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को बड़ी हानि हो सकती है।

(बी) आवेदन अनुचित देरी के बिना किया गया है; और

(ग) प्रतिभूति आवेदक द्वारा ऐसी डिक्री या आदेश के उचित प्रदर्शन के लिए दी गई है जो अंततः उस पर बाध्यकारी हो सकती है।

(4) उप-नियम (3) के प्रावधान के अधीन रहते हुए, न्यायालय आवेदन की सुनवाई तक निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एकपक्षीय आदेश दे सकता है।

(5) पूर्वगामी उप-नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां अपीलकर्ता नियम 1 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिभूति जमा करने या प्रस्तुत करने में विफल रहता है, न्यायालय डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देगा।”

17. इन प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय ने *मालवा स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ज्योति लिमिटेड* द्वारा समझाया गया है। रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकती है जिसे वह उचित समझे। विवेक का प्रयोग मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय के पास बिना शर्त रोक लगाने का विवेकाधिकार है, यहां तक कि धन सम्बंधित डिक््री पर भी, जिसका उपयोग केवल एक बहुत ही मजबूत *प्रथमदृष्टया* त्रुटि के दुर्लभ मामले में किया जाएगा जो डिक््री की जड़ तक जाती है। अधिनियम की धारा 36(3) इस स्थिति को और परिभाषित करती है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय किसी अनुबंध, मध्यस्थता समझौते, या निर्णय को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से दूषित पाता है, तो बिना शर्त स्थगन लागू होना चाहिए।

18. श्री सेठी और श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत *इकोपैक* में बॉम्बे उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय अधिनियम की धारा 36 (3) के अधीन भी इस संबंध में विवेक रखता है। उक्त निर्णय को वि.अनु.या. (सि) 16605/2018 में चुनौती दी गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुझे इसके विपरीत कोई दृश्यमान अधिकार नहीं दिखाया गया है।

19. मेरे विचार में, श्री बहल द्वारा उद्धृत निर्णय इसके विपरीत नहीं हैं। *सेपको* में, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों के पालन को दोहराया,

और लागू की जाने वाली शर्तों का निर्धारण करते समय न्यायिक विवेक के ठोस प्रयोग पर जोर दिया। *इटालियन थर्ड डेवलपमेंट* में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने तथ्यों पर बिना शर्त रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से नोट किया है कि तय किया गया प्रश्न इस तरह के आदेश देने की शक्ति के बारे में नहीं था। बाम्बे उच्च न्यायालय के *बाल्मेर लॉरी* के निर्णय में भी यही स्थिति है।

20. निम्नलिखित *प्रथमदृष्टया* निष्कर्ष मुझे आश्चर्य करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पूरी प्रदत्त राशि जमा करने की मांग करना उचित नहीं है:

क. विद्वान मध्यस्थ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पाया है कि एस.एस. को समप्रवर्तकों की ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने का "*वास्तव में कोई अधिकार नहीं था*"।

ख. डी.एस.ए. में "ध्यान दें", जिसे ऊपर पैराग्राफ 10 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार स्पष्ट रूप से समप्रवर्तकों की ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए एस.एस. प्राधिकरण के समर्थन में बोर्ड के प्रस्तावों की आवश्यकता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि डी.एस.ए. की तिथि तक आई.ओ.एल.एन. में 1.72% की संयुक्त हिस्सेदारी रखने वाले समप्रवर्तकों द्वारा ऐसा कोई बोर्ड प्रस्ताव प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों की ओर से इस मामले का समर्थन

करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि एसएस उनके द्वारा अधिकृत था।

ग. एच.टी.एम. का दिनांक 25.11.2011 का पत्र, मध्यस्थता का आह्वान करते हुए, एस.एस. को केवल आई.ओ.एल.एन. के अध्यक्ष और सी.ई.ओ. के रूप में संबोधित किया गया था, न कि समप्रवर्तकों के प्रतिनिधि के रूप में।

घ. विद्वत् मध्यस्थ के समक्ष एच.टी.एम. द्वारा दायर दावों के बयान में, यह स्पष्ट दावा किया गया था कि एस.एस. को समप्रवर्तकों द्वारा अधिकृत किया गया था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि एस.एस. के अधिकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के समक्ष जारी किया गया था, कोई और विवरण या तथ्यात्मक आधार का अनुरोध नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दायर बचाव के बयान में, उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि एस.एस. को समप्रवर्तकों की ओर से डी.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं था, और उन्हें इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम की खंड 11 के अधीन कार्यवाही से ही डी.एस.ए. का नोटिस मिला था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके विरुद्ध मध्यस्थता लागू नहीं की गई थी। एच.टी.एम. ने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष एक प्रत्युत्तर दायर किया, जिसमें उसने दोहराया कि

एस.एस. समप्रवर्तकों की ओर से विधिवत अधिकृत था। इस उद्देश्य के लिए, इसने इस न्यायालय के समक्ष एसएस द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाया और तर्क दिया कि बोर्ड के प्रस्ताव की आवश्यकता "*मात्र एक औपचारिकता*" थी न की एक "*शर्त*"।

ड. एच.टी.एम. ने याचिकाकर्ताओं पर दायित्व डालने के लिए आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को भी आधार बनाया, लेकिन इस तर्क को विद्वान मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया।

च. माननीय मध्यस्थ ने समप्रवर्तकों की ओर से एसएस के अधिकारों के संबंध में अपने निष्कर्षों को एजेंसी और प्रतिषेध के सिद्धांतों पर आधारित किया है, यद्यपि प्रतिषेध का कोई दावा न तो दावों के बयान में लिया गया था और न ही एचटीएम द्वारा दायर प्रत्युत्तर में। हालांकि, मैं उस तथ्यात्मक आधार को समझने में असमर्थ हूं, जिसके आधार पर माननीय मध्यस्थ ने इस निष्कर्ष पर पहुँचा है। माननीय मध्यस्थ ने आईओएलएन द्वारा 28.01.2009 को समप्रवर्तकों सहित अपने शेयरधारकों को जारी किए गए एक पोस्टल बैलट नोटिस का संदर्भ दिया है, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि समप्रवर्तकों को पता था कि डीएसए को उनके प्रतिनिधि के रूप में एसएस द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। हालाँकि, पोस्टल बैलट में केवल यह कहा गया है कि

आईओएलएन डीएसए में प्रवेश कर रहा था, और समप्रवर्तकों के विरुद्ध किसी भी संभावित देनदारी का उल्लेख नहीं किया गया है

21. समप्रवर्तकों की ओर से डी.एस.ए. में प्रवेश करने के लिए अधिकार का सवाल, उनके विरुद्ध एच.टी.एम. के दावों के लिए मूलभूत है, जैसा कि स्वयं विद्वान मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया गया है। मेरे विचार में, याचिकाकर्ताओं ने इस मूलभूत मुद्दे पर विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्षों के संबंध में *प्रथमदृष्टया* एक मजबूत मामला बनाया है।

22. इन सभी कारकों के संतुलन पर, मेरा यह विचार है कि न्याय के हित में विवादित पंचाट के प्रवर्तन पर रोक लगाई जानी चाहिए, बशर्ते याचिकाकर्ता न्यायालय में ₹3.75 करोड़ की राशि, जो दावा की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत है, जमा करें, या उपयुक्त बैंक गारंटी प्रदान करें, जो विद्वान महारजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए हो। याचिकाकर्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित और उनके संबंधित बोर्ड्स के प्रस्तावों द्वारा समर्थित उपक्रम पत्र दायर किए जाएं, जिसमें यह उल्लेख हो कि अगर उनकी याचिकाएं धारा 34 के अधीन अंततः असफल होती हैं, तो शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यह सब आज से छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

23. अं.आ. 6812/2024 और अं.आ. 6814/2024 का निपटान इन शर्तों के अधीन किया जाता है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल इन आवेदनों के निपटान के लिए हैं, और इन याचिकाओं की अंतिम सुनवाई में पक्षकारों को प्रभावित नहीं करेंगी।

मू.वि.या. (वाणि.) 136/2024 और मू.वि.या. (वाणि.) 137/2024

निर्धारित तिथि, 05.08.2024 के लिए सूचीबद्ध।

न्या. प्रतीक जलान,

28 मई, 2024

‘पी.वी.’/

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।